

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द  
 बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)  
 प्रकरण संख्या 73/2021 निर्णय दिनांक 12.03.2022

रु. की मरगाडा शी नि. रूपपुरा बनाम श्यामलाल कि. पृथ्वीरत्न शर्मा कि. शां. श्रीनिवासी  
 आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन कि प्रार्थी प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	रूपपुरा	2078-80 2079	124	665	0.09	696	0.20				
				676	0.16	971	0.41				
				690	0.30	974	0.11				

प्रार्थी प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया ना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी प्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी प्रार्थीगण के नाम त्तेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

**क्रियात्मक- आदेश**

प्रार्थी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

श्री भू.अ.निरीक्षक **शां. श्रीनिवासी** को 1000/-रु.की फीस पर कमीश्रर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी प्रार्थीगण से मौके पर कमीश्रर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लेखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खूनी अदालत में सुनाया गया।

**अध्यक्ष**  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

**सचिव**  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

**कलक्टर (S.D.)**  
 (सर्वेप.कुमार)



दिनांक 12/03/2022

क्रमांक / रीडर / 2022 / 224

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पार्थिव: भेरु पि० मराना ब्राह्मण निवासी - रूपपुरा तहसील - आसीन्द

- अपार्थिव: 1. रूपामलाल पिता पृथ्वीराज शर्मा (सिरीया) नि. ब्राह्मण की मुर्या तह: आसीन्द
2. रामलाल पिता शंकरलाल शर्मा (सिरीया) - २
3. अंशीलाल पिता पृथ्वीराज शर्मा (सिरीया) - २
4. गोपाल पिता पृथ्वीराज शर्मा (सिरीया) - २
5. जेठु पिता मोहन शर्मा नि. रूपपुरा तहसील - आसीन्द
6. हीरा पिता बही शर्मा नि. रूपपुरा तहसील - आसीन्द
7. तुवालाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी - रूपपुरा - २
8. उरामा पिता धुक्कल जाट निवासी - रूपपुरा तहसील - आसीन्द
9. हरदेव पिता नानु मुर्जर - २
10. भैरु पिता जसना जाट - २
11. इश्वर पिता गिरधारी जाट - २

अध्यक्ष  
तालुका विधिक सेवा समिति  
आसीन्द जिला

सचिव  
तालुका विधिक सेवा समिति  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

सहायक क्लर्क (P.D.O.)  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा